न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/137/2025 दायर दिनांक 18/09/2025 रजि0 न0 2025/346

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री मनीष कुन्दनानी पुत्र स्व० श्री नानक कुन्दनानी, 181, आदर्श कॉलोनी, दाउदपुर, अलवर–301001 (राज०)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 06.10.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 05.08.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत कर सूचना चाही गई।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नही दिये जाने के संबंध मे प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 29.09.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी के जवाब पत्र संख्या यू0आई0टी0/आर0टी0आई0/2025/8904 दिनांक 29.09.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है का प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में सूचना आवेदन दिनांक 05.08.2025 मे चाही गई सूचना के संबंध में दास्तावेजों की प्रति प्राप्त करने हेतु 40/– रू न्यास कोष में जमा कराने का उल्लेख किया गया है किन्तु आवेदन द्वारा दस्तावेज प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं किये गये।
6. तथापि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के जवाब पत्र क्रमांक यू०आई०टी०/आर०टी०आई०/2025/8904 दिनांक 29.09.2025 के अनुसार दिनांक 13.08.2025 को 40/– रू न्यास कोष में जमा करा दिये गये किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन के संबंध में कोई भी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना नहीं पाया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अतः उक्त आलोक मे अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 05/08/2025 के संबंध में वांछित सूचना निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस मे पंजीकृत पत्र के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।
8. आज दिनांक 06.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एव
जिला कलक्टर, अलवर